



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 02.07.2025

1.थाना फेस 1 पुलिस द्वारा फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही पर 66 फर्जी मार्कशीट, 07 माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 22 रिज्यूम, 14 प्लेन एग्जामिनेशन कापी, 09 डाटा शीट, 04 फर्जी मोहर, 01 इंकपैड, 02 लैपटाप (एचपी कम्पनी), 02 प्रिंटर, 01 फोन लैण्डलाइन, 14 चैक बुक (अलग-अलग बैंकों की) , 05 कैश डिपोजिट स्लिप बुक, 01 पास बुक पीएनबी बैंक , 08 रसीद बुक, 08 ए.टी.एम/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड , 07 मोबाइल फोन (अलग-अलग कम्पनी के), 09 मोबाइल सिम कार्ड (अलग-अलग कम्पनी के) व अपराध में प्रयुक्त 02 कार बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- थाना फेस 1 पुलिस द्वारा दिनांक 02.07.2025 को फर्जी मार्कशीट आदि बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्त 1- अभिमन्यु गुप्ता 2- धर्मेन्द्र गुप्ता को जल बोर्ड आफिस सैक्टर-1 नोएडा के पास नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण बेरोजगार व परीक्षा में फेल तथा नौकरी की आयु पार कर देने वाले लोगो की विगत वर्ष की फर्जी मार्कशीट व अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाते हैं जो अलग अलग विश्वविद्यालय/बोर्ड से सम्बद्ध दिखाते हैं और मार्कशीट आदि में ग्राहक की इच्छा अनुसार उसकी आयु तथा प्राप्त अंक तथा प्रतिशत अंकित कर ग्राहक को देते हैं। जिसका डाटा अभियुक्तगण गूगल से प्राप्त करते थे। फर्जी मार्कशीट आदि बनवाने वाले इसका प्रयोग नौकरी पाने तथा अन्य अपने स्वार्थ पूरा करने के लिये इस्तमाल कर लेते हैं जिसके बदले इन फर्जी मार्कशीट आदि का ग्राहको से 80 हजार से 02 लाख रुपये या ग्राहक की मजबूरी देखकर उसके हिसाब से रुपये लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अभिमन्यु गुप्ता पुत्र रतनेश गुप्ता निवासी म0न0- 1337 रतनलाल नगर थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर हाल पता 51 बी सेन्चुरी अपार्टमेन्ट सैक्टर 100 थाना सैक्टर 39 नोएडा उम्र 40 वर्ष
2. धर्मेन्द्र गुप्ता पुत्र प्रेम कुमार गुप्ता निवासी म0न0 112 एलआईजी बर्ग 4 थाना बर्ग जिला कानपुर नगर हाल पता बी-95 एलआईजी फ्लैट सैक्टर 99 थाना सैक्टर 39 नोएडा उम्र 42 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0स0- 262/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/3(5) बीएनएस थाना फेस 1 नोएडा

अभियुक्तगण उपरोक्त का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0स0- 262/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/3(5) बीएनएस थाना फेस 1 नोएडा

बरामदगी का विवरण--

1. 66 फर्जी मार्कशीट
2. 07 माइग्रेशन सर्टिफिकेट
3. 22 रिज्यूम
4. 14 प्लेन एग्जामिनेशन कापी
5. 09 डाटा शीट
6. 04 फर्जी मोहर
7. 01 इंकपैड
8. 02 लैपटाप (एचपी कम्पनी)
9. 02 प्रिंटर (एचपी/एप्सोन कम्पनी)
10. 01 फोन लैण्डलाइन
11. 14 चैक बुक (अलग-अलग बैंक की)
12. 05 कैश डिपोजिट स्लिप बुक
13. 01 पास बुक पीएनबी बैंक
14. 08 रसीद बुक
15. 08 ए.टी.एम/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड
16. 07 मोबाइल फोन (अलग-अलग कम्पनी के)
17. 09 मोबाइल सिम कार्ड (अलग अलग कम्पनी के)

2.थाना सैक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 चोरी /सैनैचिंग के मोबाइल फोन व अवैध शस्त्र एवं घटना मे प्रयुक्त एक स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 02.07.25 को थाना सैक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल फोन चोरी करने वाले 03 अभियुक्त 1.अमित बहादुर उर्फ भोलू पुत्र किशन बहादुर 2. कृष्णा पुत्र दिनेश पाण्डे 3. रोहित यादव पुत्र शैलेश यादव को सोम बाजार कट पर से 0 49 रेड लाईट की तरफ से आने वाला रास्ता से **गिरफ्तार** किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया वह जगह-जगह लोगो को शस्त्र दिखाकर भय व्याप्त कर सुनसान जगहो पर स्कूटी से घूम फिरकर मौका पाते ही लोगो से मोबाइल फोन छीन लेते है व नोएडा, दिल्ली मे भीड भाड वाले स्थानो व बस स्टैण्ड व मेट्रो स्टेशन पर खडे व आने जाने वाले लोगो की जेब से उनके मोबाइल फोन चोरी कर लेते है, जिनको बेचकर हम लोग अपने नशा आदि के शौक मौज पूरे करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अमित बहादुर उर्फ भोलू पुत्र किशन बहादुर निवासी पॉकेट एन जनता फ्लैट सरिता विहार थाना सरिता विहार दिल्ली उम्र 35 वर्ष ।
2. कृष्णा पुत्र दिनेश पाण्डे निवासी गाँव कसमा मदार थाना खजौली जिला मधुबनी बिहार हालपता गली नं0 7 मोहन बाबा नगर थाना बदरपुर दिल्ली म्र 25 वर्ष ।
3. रोहित यादव पुत्र शैलेश यादव निवासी चारमऊ बटेश्वर रोड थाना नसीर जिला फिरोजाबाद हालपता पहला साठ फिटा रॉयल जिम थाना बदरपुर दिल्ली उम्र 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमित बहादुर उर्फ भोलू--

1. मु0अ0सं0- 727/2020 धारा 4/25 आ0 एक्ट व 41/102/414 भा0द0वि0 थाना कोसीकला जनपद मथुरा

2. मु0अ0सं0- 728/2020 धारा 4/25 आ0 एक्ट व 414 भा0द0वि0 थाना कोसीकला जनपद मथुरा
3. मु0अ0सं0- 318/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सेक्टर 39, नोएडा कमिश्नरेट गौ0 नगर
4. मु0अ0सं0- 320/25 धारा 317(2)317(5) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर 39 कमिश्नरेट गौ0 नगर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कृष्णा--

1. मु0अ0सं0- 318/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सेक्टर 39, नोएडा कमिश्नरेट गौ0 नगर।
2. मु0अ0सं0- 320/25 धारा 317(2)317(5) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर 39 कमिश्नरेट गौ0 नगर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रोहित यादव--

1. मु0अ0सं0- 792/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर 39, नोएडा कमिश्नरेट गौ0 नगर।
2. मु0अ0सं0- 318/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सेक्टर 39, नोएडा कमिश्नरेट गौ0 नगर।
3. मु0अ0सं0- 320/25 धारा 317(2)317(5) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर 39 कमिश्नरेट गौ0 नगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 10 चोरी /स्नैचिंग के मोबाईल फोन
2. 01 तमन्चा .315 बोर
3. 02 अवैध चाकू
4. घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी बरामद।

3.थाना कासना पुलिस द्वारा द्वारा 03 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी पिकअप बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 01.07.2025 को वादी द्वारा सूचना दी गई की उसका वाहन महिंद्रा पिकअप रजि0 नं0 डीएल 1 एलवाई 3792 अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर तत्काल पर मु0अ0सं0 151/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

थाना कासना की पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलिजेस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से दिनांक **02.07.2025** को घटना का सफल अनावरण करते हुये वाहन महिंद्रा पिकअप रजि0 नं0 डीएल 1 एलवाई 3792 को मय तीन अभियुक्त 1. नीरज उर्फ धीरज उर्फ जादू पुत्र पवन कुमार 2. पंकज कुमार पुत्र विनोद कुमार 3. सूरज चौहान उर्फ सन्नी उर्फ कालू पुत्र लल्लन चौहान को गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) भादवि की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. नीरज उर्फ धीरज उर्फ जादू पुत्र पवन कुमार नि0 ग्राम किनवा थाना चण्डौस अलीगढ़ हाल पता किराये का मकान ग्राम सिरसा थाना कासना गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष
2. पंकज कुमार पुत्र विनोद कुमार नि0 दीनदयालपुर थाना हरदुआगंज अलीगढ़ उम्र 19 वर्ष
3. सूरज चौहान उर्फ सन्नी उर्फ कालू पुत्र लल्लन चौहान ग्राम गौलन्द थाना पिलखुआ हापुड उम्र 25 वर्ष

गिरफ्तार अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 151/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कासना गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी गई महिंद्रा पिकअप रजि0 नं0 डीएल 1 एलवाई 3792